

संशोधित प्राथमिक डिगरी व मुकदमे इब्तादाई

(ओ. 20 रू. 6-7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (S.D.O.) मुकाम सिवाना (बाड़मेर)
बइजलास श्री अन्जुम ताहिर सम्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 30/2017

वादीगण :-

1. रसालदेवी पत्नी गोविन्दपुरी जाति स्वामी निवासी थान माता हिगलाज तहसील सिवाना जिला बाड़मेर राज.
2. भोपाल पुरी पुत्र अमरपुरीजी जाति स्वामी निवासी थान माता हिगलाज तहसील सिवाना जिला बाड़मेर राज.

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. जबरपुरी पुत्र बादरपुरी जाति स्वामी निवासी थान माता हिगलाज
2. बाबुपुरी पुत्र बादरपुरी जाति स्वामी निवासी थान माता हिगलाज
3. वंशपुरी पुत्र बादरपुरी जाति स्वामी निवासी थान माता हिगलाज
4. चैनपुरी पुत्र अणदपुरी जाति स्वामी निवासी थान माता हिगलाज
5. घेवरपुरी पुत्र अमरपुरी जाति स्वामी निवासी थान माता हिगलाज
6. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना

दावा बाबत धारा 53,188 रा.का.अधिनियम हेतु बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा

प्रकरण संख्या 30/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हाजरी वादी स्वयं व वादी अधिवक्ता श्री कैलाशपुरी मिनजानिव मुद्दई प्रतिवादी अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है, व वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि सरहद मौजा थान माता हिगलाज पटवार हल्का गुडानाल तहसील सिवाना के नई खतौनी संख्या 105/6 खसरा संख्या 44,49,57,74,78,79, 81,398 रकबा कमश: 05.06,12, 14,03,15, 03,14, 03,05, 03,16,06,00, 08,01 बीघा किस्म घोरा का मौका पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा करते हुए विभाजन करने के आदेश दिये जाते हैं तहसीलदार सिवाना मौके पर वादी व प्रतिवादी के मध्य जमाबन्दी मे दर्ज हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा कर विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करे। खर्चो पक्षकरान अपना-अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13.04.2018 को जारी की गई।



कमांक: वास्ते/2018/ 536

प्रतिज्ञा: वास्ते पालनार्थ।

भूमिधारक तहसीलदार, सिवाना।

(अन्जुम ताहिर सम्मा)

सहायक कलक्टर

(S.D.O.) सिवाना

दिनांक: 13.4.18

(अन्जुम ताहिर सम्मा)

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना
(S.D.O.) सिवाना

डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

(ओ. 20 रू. 6-7 जाबता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (S.D.O.) मुकाम सिवाना (बाड़मेर)
बइजलास श्री अन्जुम ताहिर सम्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 30/2017

वादीगण :-

1. रसालदेवी पत्नी गोविन्दपुरी जाति स्वामी निवासी धान माता हिगलाज तहसील सिवाना जिला बाड़मेर राज.
2. भोपाल पुरी पुत्र अमरपुरीजी जाति स्वामी निवासी धान माता हिगलाज तहसील सिवाना जिला बाड़मेर राज.

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. जबरपुरी पुत्र बादरपुरी जाति स्वामी निवासी धान माता हिगलाज
2. बाबुपुरी पुत्र बादरपुरी जाति स्वामी निवासी धान माता हिगलाज
3. वंशपुरी पुत्र बादरपुरी जाति स्वामी निवासी धान माता हिगलाज
4. चैनपुरी पुत्र अणदपुरी जाति स्वामी निवासी धान माता हिगलाज
5. घेवरपुरी पुत्र अमरपुरी जाति स्वामी निवासी धान माता हिगलाज
6. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना

दावा बाबत धारा 53,188 रा.का.अधिनियम हेतु बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वादीगण व प्रतिवादीगण मिनजानिव मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि भूमि धारक तहसीलदार सिवाना द्वारा ग्राम धाना माता हिगलाज के खेत खसरा नम्बर 44,49,57,74,78,79,81,398 कुल रकबा 46.11 बीघा किस्म घोरा जमाबंदी संवत् 2071-2074 में संयुक्त खातेदारी अंकित है का तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत माफिक विभाजन प्रस्ताव मेनिम्न प्रकार से अंतिम टिकी पारित की जाती है।

मौका स्थिति अनुसार विभाजन प्रस्ताव:-

क्र.सं.	खातेदार का नाम व पता	खसरा नं.	रकबा	किस्म	लगान	बरंग
1	रसालदेवी पत्नी गोविन्दपुरी कौम स्वामी निवासी धाना माता हिगलाज रहन 5883 208 सिवाना	44	2.13	घोरा	2.25	लाल
		49	6.07	घोरा		
		योग	2	9.00	घोरा	2.25
2	जबरपुरी बाबुपुरी वंशपुरी पि. बादरपुरी धुन्नीबाई बेवा बादरपुरी कौम स्वामी निवासी धाना माता हिगलाज रहन 5883 208 सिवाना में घुन्नीबाई बाबुपुरी व वंशपुरी	74	03.14	घोरा	2.69	हरा
		78	03.05	घोरा		
		79	03.16	घोरा		
योग	3	10.15	घोरा	2.69	हरा	
3	चैनपुरी पुत्र अणदपुरी कौम स्वामी निवासी धानमाता हिगलाज	398	08.01	घोरा	2.01	सफेद
		योग	1	08.01	घोरा	02.01
4	घेवरपुरी पुत्र अमरपुरी कौम स्वामी निवासी धानमाता हिगलाज रहन 5883 208 सिवाना	44	02.13	घोरा	02.25	काला
		49	06.07	घोरा		
		योग	2	09.00	घोरा	02.25
5	भोपालपुरी पुत्र अमरपुरी कौम स्वामी निवासी धानमाता हिगलाज रहन 5883 208 सिवाना	57	03.15	घोरा	02.44	बैंगनी
		84	06.00	घोरा		
		योग	2	09.15	घोरा	02.44



भूमि धारक तहसीलदार सिवाना को निर्देश दिये जाते हैं कि राजस्व रेकॉर्ड में इसी प्रकार अमल कर अलग अलग खाता नम्बर अंकित किया जावे। सलग्न नक्शा डिग्री पर्चा का अभिन्न अंग खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।
यसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 03.05.18 को जारी की गई।

(अन्जुम ताहिर सम्मा)
सहायक कलक्टर
(SDO) सिवाना

दिनांक :- 07/05/18

(अन्जुम ताहिर सम्मा)
सहायक कलक्टर
(SDO) सिवाना

क्रमांक: वाचक/2018/667

प्रतिलिपि : वास्ते पालनार्थ।

भूमिधारक तहसीलदार, सिवाना